

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

“झारखण्ड नगरपालिका नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते,
अन्य सेवा शर्तें तथा बजट, लेखा एवं अंकेक्षण नियमावली, 2018”

3504
09/07/18
झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के भाग-VI अध्याय-28 की धारा-265 एवं 288 के अध्याधीन “झारखण्ड नगरपालिका नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते, अन्य सेवा शर्तें तथा बजट, लेखा एवं अंकेक्षण नियमावली, 2018” अधिसूचित करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

- 1.1 यह नियमावली “झारखण्ड नगरपालिका नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते, अन्य सेवा शर्तें तथा बजट, लेखा एवं अंकेक्षण नियमावली, 2018” कही जायेगी।
- 1.2 यह नियमावली अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ

- 2.1 “अधिनियम” से अभिप्रेत है झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011,
- 2.2 “अध्याय” से अभिप्रेत है झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 का अध्याय-28,
- 2.3 “धारा” से अभिप्रेत है झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 में उल्लेखित धारा,
- 2.4 “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है झारखण्ड नगरपालिका नियामक आयोग का अध्यक्ष,
- 2.5 “उच्च न्यायालय” से अभिप्रेत है राज्य का उच्च न्यायालय,
- 2.6 “राज्य आयोग” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-263 की उपधारा (1) के अधीन गठित झारखण्ड नगरपालिका नियामक आयोग,
- 2.7 “सदस्य” से राज्य आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष, और राज्य आयोग के सदस्य भी आते हैं,
- 2.8 “चयन समिति” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-264 (1) तथा नियमावली के नियम 4(1) में विनिर्दिष्ट अर्थात् आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन हेतु गठित समिति,
- 2.9 “राज्य सरकार” से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार,
- 2.10 “विभाग” से अभिप्रेत है नगर विकास एवं आवास विभाग,
- 2.11 “विनियम” से अभिप्रेत है आयोग द्वारा तैयार किया गया विनियम, जिसकी अधिसूचना विभाग द्वारा विधिवत् निर्गत की गयी हो,
- 2.12 वैसे उपयोग किये गये शब्द या कथन, जो इस नियमावली में परिभाषित नहीं हो, का तात्पर्य (अर्थ) वहीं होगा जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया है।

3. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की अहर्ता:-

- 3.1 आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या तीन से अनधिक होगी।

- 3.2 राज्य सरकार अध्यक्ष की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से कर सकेगी, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हों अथवा मुख्य सचिव या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त हों।
- 3.3 आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त दो सदस्य होंगे जो नगर प्रबंधन, वित्त, अभियंत्रण या विधि के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान रखते हों। विशिष्ट ज्ञान से अभिप्राय है उक्त क्षेत्र में स्नाकोत्तर की डिग्री अथवा समकक्ष।
- 3.4 आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति धारा-264 में वर्णित प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा से की जायेगी।
- 3.5 अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल के या राज्यपाल द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष इस प्रयोजन के लिए दिये गए प्रारूप में शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। (अनुसूची-1)

4. अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की पदावधि, वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें:-

- 4.1 अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेंगे परन्तु पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

परन्तु यह कि अध्यक्ष के मामले में, पाँच वर्ष की अवधि समाप्त करने के पूर्व 65 वर्ष की आयु एवं सदस्य के मामले में, पाँच वर्ष की अवधि समाप्त करने के पूर्व 62 वर्ष की आयु पूरी करता है तो वह उस तिथि को जिस तिथि को वह उक्त आयु प्राप्त कर लेता है, अपना पद रिक्त कर देगा।

- 4.2 राज्य के उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश के राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने की स्थिति में उन्हें सेवानिवृत्त की तिथि को प्राप्त अंतिम वेतन घटाव पेंशन की राशि प्राप्त होगी। साथ ही, उन्हें उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में पूर्व से प्राप्त अन्य अनुमान्य भत्ते एवं सुविधाएँ पूर्ववत् प्राप्त होगी।
- 4.3 राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पदाधिकारी के राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने की स्थिति में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं०-2764/वि० दिनांक-22.08.2017 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेश के अनुसार वेतन एवं अन्य भत्ते अनुमान्य होंगे।
- 4.4 ऐसे सदस्यों की राज्य आयोग में नियुक्ति की स्थिति में, जो सरकारी सेवा में कार्यरत न रहे हों, को राज्य सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के वेतनमान एवं अन्य भत्ते अनुमान्य होंगे।
- 4.5 आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों आदि का वेतन भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
- 4.6 आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य सरकार द्वारा घोषित निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट (NI Act-1881) के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश एवं कार्यपालक आदेश के अन्तर्गत घोषित सार्वजनिक अवकाश के उपभोग के हकदार होंगे।
- 4.7 आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए निर्धारित आकस्मिक अवकाश देय होगा।
- 4.8 आयोग के अध्यक्ष अवकाश की सूचना अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को देंगे तथा किसी सदस्य को अवकाश स्वीकृत करने के लिए अध्यक्ष सक्षम प्राधिकार होंगे।
- 4.9 आवश्यकतानुसार आयोग से प्राप्त प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा से पद स्वीकृत कर सरकार द्वारा विधिवत् नियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

5. **आयोग का बजट, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा और अंकेक्षण :-**

- 3504
09/07/18
- 5.1 आयोग प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर आयोग की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों को दिखाते हुए अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करेगा और बजट को राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।
- 5.2 आयोग, पूर्व वर्ष के कार्यों का संक्षिप्त विवरण देते हुए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और प्रतिवेदन की प्रतियाँ राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।
- 5.3 प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, जैसे ही राज्य सरकार को प्राप्त हो, शीघ्रातिशीघ्र राज्य विधायिका के समक्ष पेश की जायेगी।
- 5.4 आयोग, समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख अनुरक्षित करेगा तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से लेखा का वार्षिक-विवरण, महालेखाकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में तैयार करेगा।
- 5.5 आयोग का लेखा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्तराल पर, जैसा वह विहित करे, अंकेक्षण किया जायेगा और ऐसी अंकेक्षण में उपगत कोई खर्च, राज्य नगरपालिका नियामक आयोग द्वारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को देय होगा।
- 5.6 झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के अधीन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और उसके द्वारा नियुक्त राज्य नगरपालिका नियामक आयोग के लेखा अंकेक्षण से सम्बन्धित किसी व्यक्ति को, ऐसी लेखा अंकेक्षण के विषय में, वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार प्राप्त होंगे, जो सामान्यतः भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को, राज्य सरकार के लेखा के अंकेक्षण के संबंध में प्राप्त होते हैं तथा विशेषकर, पुस्तकों, लेखा संबंधित भाउचर एवं अन्य दस्तावेज और कागजों को प्रस्तुत करने की मांग करने एवं राज्य नगरपालिका नियामक आयोग के किसी कार्यालय के निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- 5.7 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राज्य नगरपालिका नियामक आयोग का अभिप्रमाणित लेखा, उस पर अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ राज्य नगरपालिका नियामक आयोग द्वारा राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष अग्रसारित किया जायेगा।
- 5.8 राज्य सरकार, जैसे ही यह प्राप्त हो, शीघ्रातिशीघ्र राज्य विधायिका के समक्ष रखेगी।

6. **राज्य सरकार की शक्ति**

इस नियमावली को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो तो उस मामले में इस नियमावली के उपबंधों के संगत कोई निदेश जारी करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार सशक्त होगा।

“झारखण्ड नगरपालिका नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते, अन्य सेवा शर्तें तथा बजट, लेखा एवं अंकेक्षण नियमावली, 2018” के गठन पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-03.07.2018 में मद संख्या-06 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(A)

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

(ज्ञापांक-8 / नियमावली / 103 / 2017 / न०वि०आ० 3504 राँची, दिनांक-09/07/18
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, नगर विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की 300 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ज्ञापांक-8 / नियमावली / 103 / 2017 / न०वि०आ० 3504 राँची, दिनांक-09/07/18
प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

राँची, दिनांक-09/07/18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-8 / नियमावली / 103 / 2017 / न०वि०आ० 3504 राँची, दिनांक-09/07/18
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, राँची/प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी प्रमण्डल/उपायुक्त, राँची/नगर आयुक्त, राँची नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

अनुसूची-1
(नियम-3.5)

मैं नाम झारखण्ड नगरपालिका नियामक आयोग के
अध्यक्ष/सदस्य (जो लागू हो) के रूप में नियुक्त हुआ/हुई हूँ। ईश्वर को साक्षी
मानकर शपथ लेता हूँ/लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा, ईमानदारी तथा अपनी पूरी योग्यता,
ज्ञान तथा विवेक के साथ अपने कर्तव्यों का पालन भय या पक्षपात, रंज या द्वेष से
रहित होकर करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर



पूरा नाम-.....